गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F.NO. 55-39/2019-A&A/ 219 **दिनांक: 31/05/2023**

अधिसूचना संख्या 13/AA-2023-24

विषय: लोकपाल की नियुक्ति।

संदर्भ: (1) दिनांक 12 की यूजीसी पत्र संख्या F.1-13/2022 (CPP-II)।
(2) माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 30/05/2023 को अनुमोदित।

उपर्युक्त संदर्भ के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के अनुसार माननीय कुलपति द्वारा आचार्य हरीश चंद्र सिंह राठौड़, पूर्व कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को लोकपाल के रूप में नामित किया गया है। यह नामांकन यूजीसी विनियम की प्रावधान संख्या 6(iii) के अनुरूप किया गया है और यह दिनांक 01/06/2023 से तीन वर्ष तक प्रभावी होगा।

लोकपाल के कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:

1. लोकपाल पीड़ित छात्र की अपील तभी सुनेंगे जब छात्र इन विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त अन्य सभी उपायों का प्रयोग कर चुका होगा।
2. यद्यपि परीक्षा के संचालन में या मूल्यांकन प्रक्रिया में कदाचार के मामलों को लोकपाल के पास भेजा जा सकता है, किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई अपील या आवेदन पर लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि भेदभाव की विशिष्ट अनियमितता वास्तव में परिणाम को प्रभावित न करती हो।
3. कथित भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई के लिए लोकपाल न्यायमित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता ले ले सकते हैं।
4. लोकपाल पीड़ित छात्रों से अपील प्राप्त करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत को हल करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

डॉ. आ. पटेल
02/06/23
कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा)

1. आचार्य हरीश चंद्र सिंह राठौड़, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
2. कुलपति के निजी सचिव
3. सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
4. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. अधिसूचना फाइल